

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1096

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2020 को दिया जाना है।

अनुबंधित श्रमिकों के रोजगार की चयन प्रक्रिया

1096. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:

श्रीमती छाया वर्मा:

चौधरी सुखराम सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अनुबंधित श्रमिकों को नियोजित करने के लिए मंत्रालय में अपनाई जाने वाली चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और किन-किन स्तरों पर परीक्षण के उपरांत उन्हें काम पर रखा जाता है;
- (ख) अनुबंधित श्रमिकों की नियुक्ति हेतु अपनाई जा रही चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि इन अनुबंधित श्रमिकों को अल्प अधिकारियों द्वारा भाई भतीजावाद के आधार पर या भ्रष्टाचार के जरिए रखा जाता है/नियमित किया जाता है; और
- (घ) क्या मंत्रालय का अनुबंधित श्रमिकों की नियुक्ति हेतु कोई पारदर्शी तंत्र बनाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) एवं (ख) : विद्युत मंत्रालय संविदात्मक कामगारों को काम पर लगाने के लिए सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के अध्याय-6 के उपबंधों में निहित विस्तृत चयन प्रक्रिया को अपनाता है। इस समय एक सहायक अनुभाग अधिकारी, जो मंत्रालय से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को संबद्ध जीएफआर उपबंधों में दी गई विस्तृत प्रक्रिया को अपनाने के बाद विशिष्ट कार्यों के लिए संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है।

(ग) एवं (घ) : जी, नहीं। विद्युत मंत्रालय संविदात्मक कामगारों की नियुक्ति के लिए सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के उपबंधों का पालन करता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1097

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

‘नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड’

1097. श्री के.जे. एल्फोंस:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान ‘नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड’ की उपलब्धियां क्या-क्या हैं; और

(ख) क्या इससे विद्युत स्टेशनों और राज्य विद्युत निगम द्वारा क्षमता का बेहतर उपयोग हो रहा है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : सीईआरसी ने नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स) को वर्ष 2009 में पावर एक्सचेंज की संस्थापना हेतु स्वीकृति दी थी। तथापि, एनपीईएक्स ने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है। तदनुसार, सीईआरसी ने वर्ष 2014 में पावर एक्सचेंज की संस्थापना हेतु एनपीईएक्स को दी गई अनुमति वापस ले ली।

(ख) : उपरोक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1098

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2020 को दिया जाना है।

राजस्थान में विद्युत की मांग और आपूर्ति अनुपात

1098. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत की मांग की तुलना में विद्युत की आपूर्ति पांच गुना कम है;
- (ख) विगत दो वर्षों के दौरान देश में, विशेषतः राजस्थान सहित राज्य-वार वर्तमान मांग और आपूर्ति अनुपात कितना-कितना है;
- (ग) क्या सरकार देश में सभी किसानों और लोगों को पर्याप्त विद्युत प्रदान करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) इस आदर्श परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगने और व्यय होने का अनुमान है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी, नहीं। विद्युत की आपूर्ति देश में विद्युत की मांग के अनुरूप है।

(ख) : ऊर्जा के संबंध में, पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष 2019-20 के दौरान (दिसम्बर, 2019 तक), राज्य/केन्द्रशासित राज्य-वार, आपूर्ति तथा मांग का ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-I, II एवं III में दिया गया है। चालू वर्ष 2019-20 (दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान, देश में मांग तथा आपूर्ति का अनुपात 99.5% है।

(ग) एवं (घ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। किसानों सहित सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा की जाती है। केन्द्र सरकार, केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित कर तथा उनसे विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित राज्यों के लिए विद्युत का आबंटन कर, राज्य सरकारों/डिस्कॉम के प्रयासों को पूरा करती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य/केन्द्रशासित राज्यों को सहयोग दिया है। ये योजनाएं वितरण नेटवर्क/ग्रिड कनेक्टिविटी को मजबूत करने तथा सभी के लिए 24x7 विद्युत प्राप्त करने तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सुविधा देने में राज्यों/केन्द्रशासित राज्यों को मदद करती हैं।

वर्तमान में, देश में, पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है।

दिनांक 11.02.2020 को राज्य सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1098 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2017-18 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/पद्धति/क्षेत्र	विद्युत		
	अप्रैल, 2017 - मार्च, 2018		
	विद्युत मांग (एमयू)	विद्युत आपूर्ति (एमयू)	आवश्यक ऊर्जा की तुलना में आपूर्ति की गई ऊर्जा का प्रतिशत
चंडीगढ़	1,610	1,601	99.5
दिल्ली	31,826	31,806	99.9
हरियाणा	50,775	50,775	100.0
हिमाचल प्रदेश	9,399	9,346	99.4
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश	18,808	15,050	80.0
पंजाब	54,812	54,812	100.0
राजस्थान	71,194	70,603	99.2
उत्तर प्रदेश	1,20,052	1,18,303	98.5
उत्तराखंड	13,457	13,426	99.8
उत्तरी क्षेत्र	3,71,934	3,65,723	98.3
छत्तीसगढ़	25,916	25,832	99.7
गुजरात	1,09,984	1,09,973	100.0
मध्य प्रदेश	69,925	69,925	100.0
महाराष्ट्र	1,49,761	1,49,531	99.8
दमन और दीव	2,534	2,534	100.0
दादर नगर हवेली	6,168	6,168	100.0
गोवा	4,117	4,117	100.0
पश्चिमी क्षेत्र	3,68,405	3,68,080	99.9
आंध्र प्रदेश	58,384	58,288	99.8
तेलंगाना	60,319	60,235	99.9
कर्नाटक	67,869	67,701	99.8
केरल	25,002	24,917	99.7
तमिलनाडु	1,06,006	1,05,839	99.8
पुडुचेरी	2,668	2,661	99.7
लक्षद्वीप	47	47	100.0
दक्षिणी क्षेत्र	3,20,248	3,19,642	99.8
बिहार	27,019	26,603	98.5
झारखंड	7,907	7,753	98.1
ओडिशा	28,802	28,706	99.7
पश्चिम बंगाल	50,760	50,569	99.6
सिक्किम	485	484	99.9
अंडमान- निकोबार	328	299	91.1
पूर्वी क्षेत्र	1,36,522	1,35,489	99.2
अरुणाचल प्रदेश	799	788	98.7
असम	9,094	8,779	96.5
मणिपुर	874	827	94.7
मेघालय	1,557	1,553	99.8
मिजोरम	497	488	98.3
नगालैंड	794	774	97.5
त्रिपुरा	2,602	2,553	98.1
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	16,216	15,763	97.2
अखिल भारत	12,13,326	12,04,697	99.3

लक्षद्वीप तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह स्टैंड अलोन पद्धति में आते हैं इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति किसी प्रकार की क्षेत्रीय आवश्यकता , तथा आपूर्ति के भाग का निर्माण नहीं करती है।

* इसमें बांग्लादेश को की जाने वाली आपूर्ति शामिल है।

टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट को राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है।

दिनांक 11.02.2020 को राज्य सभा में उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं. 1098 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2018-19 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/पद्धति/क्षेत्र	विद्युत		
	अप्रैल, 2018 - मार्च, 2019		
	विद्युत मांग (एमयू)	विद्युत आपूर्ति (एमयू)	आवश्यक ऊर्जा की तुलना में आपूर्ति की गई ऊर्जा का प्रतिशत
चंडीगढ़	1,571	1,571	100.0
दिल्ली	32,299	32,282	99.9
हरियाणा	53,665	53,665	100.0
हिमाचल प्रदेश	9,850	9,618	97.6
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश	18,988	15,616	82.2
पंजाब	55,328	55,315	100.0
राजस्थान	79,815	79,626	99.8
उत्तर प्रदेश	1,17,133	1,16,149	99.2
उत्तराखंड	13,845	13,753	99.3
उत्तरी क्षेत्र	3,82,493	3,77,595	98.7
छत्तीसगढ़	26,471	26,417	99.8
गुजरात	1,16,372	1,16,356	100.0
मध्य प्रदेश	76,056	76,054	100.0
महाराष्ट्र	1,58,295	1,58,157	99.9
दमन और दीव	2,558	2,558	100.0
दादर नगर हवेली	6,303	6,302	100.0
गोवा	4,295	4,292	99.9
पश्चिमी क्षेत्र	3,90,349	3,90,136	99.9
आंध्र प्रदेश	63,861	63,804	99.9
तेलंगाना	66,489	66,427	99.9
कर्नाटक	71,764	71,695	99.9
केरल	25,016	24,898	99.5
तमिलनाडु	1,09,482	1,09,380	99.9
पुडुचेरी	2,766	2,756	99.7
लक्षद्वीप	46	46	100.0
दक्षिणी क्षेत्र	3,39,377	3,38,960	99.9
बिहार	30,061	29,825	99.2
डीवीसी	22,745	22,372	98.4
झारखंड	8,737	8,490	97.2
ओडिशा	32,145	32,115	99.9
पश्चिम बंगाल	51,471	51,287	99.6
सिक्किम	527	527	99.9
अंडमान- निकोबार	346	323	93.3
पूर्वी क्षेत्र	1,45,686	1,44,616	99.3
अरुणाचल प्रदेश	869	859	98.9
असम	9,566	9,238	96.6
मणिपुर	905	895	98.8
मेघालय	1,957	1,956	99.9
मिजोरम	643	635	98.8
नगालैंड	888	795	89.5
त्रिपुरा	1,863	1,841	98.8
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	16,691	16,219	97.2
अखिल भारत	12,74,595	12,67,526	99.4

लक्षद्वीप तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह स्टैंड अलोन पद्धति में आते हैं इनकी विद्युत , आपूर्ति स्थिति किसी प्रकार की क्षेत्रीय आवश्यकता तथा आपूर्ति के भाग का निर्माण नहीं करती है।

* इसमें बांग्लादेश को की जाने वाली आपूर्ति शामिल नहीं है।

टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट को राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है।

दिनांक 11.02.2020 को राज्य सभा में उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं. 1098 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/पद्धति/क्षेत्र	विद्युत		
	अप्रैल, 2019 - दिसम्बर, 2019		
	विद्युत मांग (एमयू)	विद्युत मांग (एमयू)	आवश्यक ऊर्जा की तुलना में आपूर्ति की गई ऊर्जा का प्रतिशत
चंडीगढ़	1,395	1,395	100.0
दिल्ली	27,198	27,190	100.0
हरियाणा	44,091	44,077	100.0
हिमाचल प्रदेश	7,926	7,870	99.3
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश	14,568	11,723	80.5
पंजाब	47,165	47,159	100.0
राजस्थान	60,979	60,934	99.9
उत्तर प्रदेश	98,270	97,019	98.7
उत्तराखंड	11,268	11,173	99.2
उत्तरी क्षेत्र	3,12,860	3,08,540	98.6
छत्तीसगढ़	23,005	23,002	100.0
गुजरात	85,972	85,971	100.0
मध्य प्रदेश	55,144	55,144	100.0
महाराष्ट्र	1,15,379	1,15,379	100.0
दमन और दीव	1,961	1,961	100.0
दादर नगर हवेली	4,987	4,987	100.0
गोवा	3,244	3,244	100.0
पश्चिमी क्षेत्र	2,89,693	2,89,688	100.0
आंध्र प्रदेश	48,598	48,560	99.9
तेलंगाना	48,285	48,283	100.0
कर्नाटक	51,345	51,343	100.0
केरल	19,501	19,457	99.8
तमिलनाडु	81,768	81,764	100.0
पुडुचेरी	2,201	2,199	99.9
लक्षद्वीप	35	35	100.0
दक्षिणी क्षेत्र	2,51,698	2,51,607	100.0
बिहार	24,860	24,778	99.7
डीवीसी	17,029	17,027	100.0
झारखंड	6,736	6,693	99.4
ओडिशा	23,350	23,350	100.0
पश्चिम बंगाल	42,228	42,113	99.7
सिक्किम	396	396	100.0
अंडमान- निकोबार	260	242	93.3
पूर्वी क्षेत्र	1,14,599	1,14,357	99.8
अरुणाचल प्रदेश	562	559	99.4
असम	7,769	7,302	94.0
मणिपुर	668	663	99.3
मेघालय	1,546	1,524	98.5
मिजोरम	470	466	99.3
नगालैंड	615	610	99.3
त्रिपुरा	1,226	1,203	98.1
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	12,855	12,327	95.9
अखिल भारत	9,81,705	9,76,519	99.5

लक्षद्वीप तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह स्टैंड अलोन पद्धति में आते हैं इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति किसी प्रकार, की क्षेत्रीय आवश्यकता तथा आपूर्ति के भाग का निर्माण नहीं करती है।

* इसमें बांग्लादेश को की जाने वाली आपूर्ति शामिल नहीं है।

टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट को राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1099

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

एन.टी.पी.सी. की संस्थापित क्षमता

1099. श्री वाइको:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 1 जनवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार एन.टी.पी.सी. और एन.टी.पी.सी. समूह की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है;
- (ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न राज्यों में कितनी परियोजनाएं चल रही हैं और उनकी क्षमता कितनी-कितनी है;
- (ग) उनके कब तक शुरू होने की अपेक्षा है; और
- (घ) अगले तीन वर्षों में इन परियोजनाओं को शुरू करने का लक्ष्य क्या है और प्रत्येक की संस्थापन क्षमता कितनी-कितनी होगी, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : 1 जनवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी तथा एनटीपीसी समूह की संस्थापित क्षमता क्रमशः 49695 मेगावाट तथा 58156 मेगावाट है।

(ख) से (घ) : वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न राज्यों में एनटीपीसी (संयुक्त उपक्रमों और सहायकों सहित) के निर्माणाधीन परियोजनाओं के आरंभ होने की भावी तिथियों सहित ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

देश में निर्माणाधीन एनटीपीसी समूह की परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना का नाम एवं क्षमता	ईंधन का प्रकार	क्षमता (मेगावाट)	शुरु होने की संभावित तिथि
एनटीपीसी स्वामित्व वाली परियोजनाएं					
1.	बिहार	बरौनी-II * (2x250 मेगावाट)	कोयला	250	क्यू4 20-21
2.	बिहार	बाढ़-I (3x660 मेगावाट)	कोयला	1980	क्यू2 21-22
3.	ओडिशा	दार्लीपल्ली-I * (2X800 मेगावाट)	कोयला	800	क्यू2 20-21
4.	मध्य प्रदेश	गदरवारा-I* (2X800 मेगावाट)	कोयला	800	क्यू4 19-20
5.	मध्य प्रदेश	खारगौन* (2X660 मेगावाट)	कोयला	660	क्यू4 19-20
6.	छत्तीसगढ़	लारा-I* (2X800 मेगावाट)	कोयला	800	क्यू4 19-20
7.	झारखंड	नॉर्थ करनपुरा (3X660 मेगावाट)	कोयला	1980	क्यू4 21-22
8.	उत्तर प्रदेश	टांडा-II * (2X660 मेगावाट)	कोयला	660	क्यू2 20-21
9.	तेलंगाना	तेलंगाना फेज- I (2X800 मेगावाट)	कोयला	1600	क्यू2 21-22
10.	उत्तर प्रदेश	औरैया (20 मेगावाट)	फ्लोटिंग सोलर	20	क्यू2 21-22
11.	केरल	कायमकुलम (92 मेगावाट)	फ्लोटिंग सोलर	92	क्यू1 21-22
12.	तेलंगाना	रामागुंडम (100 मेगावाट)	फ्लोटिंग सोलर	100	क्यू3 20-21
13.	आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्री (25 मेगावाट)	फ्लोटिंग सोलर	25	क्यू3 20-21
14.	पश्चिम बंगाल	रम्माम (3X40 मेगावाट)	जल विद्युत	120	क्यू3 22-23
15.	उत्तराखंड	तपवन विष्णुगढ़ (4X130 मेगावाट)	जल विद्युत	520	क्यू3 21-22
16.	उत्तर प्रदेश	औरैया (20 मेगावाट)	सौर	20	क्यू2 21-22
17.	उत्तर प्रदेश	बिल्हौर (140 मेगावाट)	सौर	140	क्यू2 20-21
18.	उत्तर प्रदेश	बिल्हौर (85 मेगावाट)	सौर	85	क्यू3 20-21
19.	राजस्थान	सीपीएसयू स्कीम-I (400 मेगावाट)	सौर	400	क्यू2 21-22
20.	राजस्थान	जेटसर (160 मेगावाट)	सौर	160	क्यू1 21-22
21.	उत्तर प्रदेश	रिहंद (20 मेगावाट)	सौर	20	क्यू2 21-22
उप जोड़				11,232	

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना का नाम एवं क्षमता	ईंधन का प्रकार	क्षमता (मेगावाट)	शुरु होने की संभावित तिथि
सहायक/संयुक्त उद्यम परियोजनाएं					
22.	झारखंड	पतरातू, पीवीयूएनएल (3X800 मेगावाट)	कोयला	2400	क्यू4 22-23
23.	बिहार	नबीनगर, बीआरबीसीएल** (4X250 मेगावाट)	कोयला	250	क्यू2 20-21
24.	बिहार	नबीनगर, एनपीजीसीपीएल* (3X660 मेगावाट)	कोयला	1320	क्यू1 21-22
25.	उत्तर प्रदेश	मेजा, एमयूएनपीएल* (2X660 मेगावाट)	कोयला	660	क्यू1 20-21
26.	ओडिशा	राउरकेला पीपी-II (250 मेगावाट)	कोयला	250	क्यू2 20-21
27.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर विद्युत परियोजना III (40 मेगावाट)	कोयला	40	क्यू2 20-21
उप जोड़				4,920	
कुल योग (मेगावाट)				16,152	

* यूनिट-1 पहले ही शुरु की जा चुकी है।

** यूनिट-1, 2 & 3 पहले ही शुरु की जा चुकी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1100

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2020 को दिया जाना है।

राज्यों द्वारा अतिरिक्त विद्युत की मांग

1100. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों ने मासिक आधार पर अतिरिक्त विद्युत आवंटित करने का अनुरोध किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आवश्यकताओं का माह-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का देश में विद्युत उत्पादन का विकेन्द्रीकरण करने का कोई विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) एवं (ख) : जी, हां। वर्ष 2019-20 के दौरान पुडुचेरी, आन्ध्र प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर से विद्युत के अतिरिक्त आबंटन के अनुरोध प्राप्त हुए थे और चण्डीगढ़ से आबंटन घटाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

- (i) जून, 2019 में, पुडुचेरी ने 01.07.2019 से दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से अपने 40 मेगावाट के आबंटन को जारी रखने का अनुरोध किया था।
- (ii) अगस्त, 2019 में, आन्ध्र प्रदेश ने माह सितम्बर, 2019 के लिए 1000 मेगावाट विद्युत के अतिरिक्त आबंटन का अनुरोध किया था।
- (iii) अक्टूबर, 2019 में, जम्मू एवं कश्मीर ने सर्दी के महीनों के लिए विद्युत के कोटे में बढ़ोत्तरी हेतु अनुरोध किया था।
- (iv) चण्डीगढ़ ने अक्टूबर, 2019 में उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से उनके आबंटन को 14% से घटाकर 9% करने का अनुरोध किया था।
- (v) दिसम्बर, 2019 के अंतिम सप्ताह में, पुडुचेरी ने दिनांक 31.12.2019 के बाद दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों के अनाबंटित कोटे से 40 मेगावाट के अपने आबंटन को जारी रखने का अनुरोध किया था।

(ग) एवं (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार, उत्पादन एक लाइसेंसरहित गतिविधि है। 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र-वार संस्थापित उत्पादन क्षमता अनुबंध में दी गई है।

राज्य सभा में दिनांक 11.02.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1100 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31.12.2019 के अनुसार विभिन्न सेक्टरों में संस्थापित उत्पादन क्षमता के ब्यौरे

अखिल भारत क्षेत्र-वार संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)						
सेक्टर	क्षेत्र					अखिल भारत*
	उत्तरी	पश्चिमी	दक्षिणी	पूर्वी	उत्तर-पूर्व	
राज्य	25816.46	32045.26	33246.15	11473.03	1188.95	103769.85
निजी	41256.02	64045.61	58752.05	7990.59	124.87	172169.14
केन्द्रीय	30364.54	25094.92	19446.50	14802.25	3083.62	92791.83
कुल	97437.02	121185.79	111444.70	34265.87	4397.44	368730.82

*द्वीपों में संस्थापित 58.24 मेगावाट विद्युत शामिल नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1101

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2020 को दिया जाना है।

गैर-परमाणु आधारित विद्युत संयंत्रों का कम उपयोग

1101. श्री के.के. रागेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-परमाणु आधारित विद्युत संयंत्रों की कुल संस्थापित और उपयोग क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) ऐसे विद्युत संयंत्रों का कम उपयोग करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विद्युत संयंत्रों की क्षमता का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, गैर-न्यूक्लियर आधारित विद्युत संयंत्रों की कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 362.01 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है। इन प्रचालनरत विद्युत संयंत्रों का उपयोग बिजली की मांग पर निर्भर करता है जो प्रत्येक समय पर अलग-अलग होता है। इसी समय, विद्युत संयंत्रों के अनुरक्षण के लिए बंदी, विद्युत संयंत्रों के ब्रेक-डाउन, सौर विद्युत संयंत्रों के लिए धूप-रहित अवधियों, पवन विद्युत संयंत्रों के लिए पवन रहित अवधियों इत्यादि जैसे अनेक कारणों से विद्युत संयंत्रों की 100% उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

वर्तमान वर्ष के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम विद्युत की मांग की पूर्ति क्रमशः लगभग 183 गीगावाट (जीडब्ल्यू) और 97 जीडब्ल्यू थी। इस प्रकार विद्युत की मांग पर विद्युत संयंत्रों की स्वाभाविक विशेषताओं के कारण, विद्युत संयंत्रों का 100% उपयोग करना संभव नहीं है। किंतु, देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमताओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1102

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2020 को दिया जाना है।

अनुकंपा के आधार पर आश्रितों की नियुक्ति

1102. श्रीमती छाया वर्मा:

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:

चौधरी सुखराम सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यदि किसी सेवारत कर्मचारी की मृत्यु यात्रा, छुट्टी के दौरान या अस्पताल में होती है, तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने के निबंधन और शर्तों के अनुसार मृतक के आश्रित को नियुक्त नहीं किया जाता है;

(ख) क्या मंत्रालय अनुकंपा के आधार पर आश्रितों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तों को अधिक लचीला बनाने पर विचार कर रहा है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : डीओपीटी द्वारा जारी किए गए का.जा. सं. 14014/02/2012-स्था.(घ) दिनांक 16.01.2013 के द्वारा जारी अनुकंपा नियुक्ति के समेकित अनुदेशों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति सरकारी कर्मचारी जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु होती है, के आश्रित परिवार के सदस्य पर लागू होती है, तथा इस प्रकार यात्रा, अवकाश तथा अस्पताल में भर्ती होने के दौरान मृत्यु होने पर इस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता।

(ख) एवं (ग) : जी, नहीं। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार, इस मामले में नियम बनाने का अधिकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के पास होता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1103

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2020 को दिया जाना है।

ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1103. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में ऊर्जा क्षेत्र में किए गए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : व्यापार संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में पिछले तीन वर्षों में विद्युत क्षेत्र में कुल एफडीआई इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	अमेरिकी डॉलर मिलियन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
1	2016-17	1112.98
2	2017-18	1621.00
3	2018-19	1105.64

स्रोत: आरबीआई आंकड़े

(ख) : व्यापार संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार समय-समय पर विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए समेकित एफडीआई नीति अधिसूचित करती है जिसमें विद्युत क्षेत्र भी सम्मिलित है।

मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति, डीपीआई आईटी द्वारा जून, 2016 में अधिसूचित की गई थी जिसके अनुसार विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत उत्पादन (एटॉमिक ऊर्जा को छोड़कर), पारेषण, वितरण तथा व्यापार के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई का प्रावधान है। भारत सरकार ने, नीति में यथा निर्धारित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियामक, 2010 के तहत विद्युत एक्सचेंज में 49% तक की स्वीकृति प्रदान की गई है। तथापि, एफआईआई/एफपीआई खरीदे केवल द्वितीयक बाजार तक ही सीमित है। बाद में इस प्रावधान दूर करने का निर्णय लिया गया था जिसके चलते, प्राथमिक बाजार के माध्यम से भी विद्युत एक्सचेंजों में निवेश के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई)/विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) को स्वीकृति दी गई थी।
